

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में कुनागाड हिरुली बाजार मोटर मार्ग का रामपुर चौखुटिया तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 20.10.2014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बिक्रम सिंह कैडा, ^{34 गवर्नर निरीक्षक} राजस्व विभाग की ओर से श्री ~~नन्दन सिंह कश्यप~~ राजस्व उपनिरीक्षक प्रस्तावक विभाग की ओर से श्रीमती ~~शिवानी~~ सैनी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.000 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.000 हे०, वन पंचायत भूमि 1.35 हे० एवं नाप भूमि 0.450 हे० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।
(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है).....

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(कनिष्ठ अभि०)

अधिष्ठासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रति हस्ताक्षरित

जिला अधिकारी
जिलाधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित

पटवारी

तहसीलदार

तहसीलदार

उपजिलाधिकारी

उपजिलाधिकारी
चौखुटिया (अल्मोड़ा)

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन दफ्तर

वन क्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
चौखुटिया (अल्मोड़ा)